

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
 (जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
 टेलीफैक्स.0141-2222403, ईमेल-stplsg407@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.59 एसटीपी / डीएलबी / Review of M.P.(55)/19/6759 दिनांक ! 12/12/19


—:कार्यालय आदेश:—

स्थानीय निकायों और पंचायति राज संस्थाओं संबंधी समिति (2019-20) की परीक्षात्मक बैठक दिनांक 23.09.2019 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जोनल डवलपमेंट प्लान के कार्य की जांच करने हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी/पदनाम		
1.	श्री जितेन्द्र सोनी	परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री महावीर प्रसाद स्वामी	सेवानिवृत्त संयुक्त विधि परामर्शी	सदस्य
3.	श्री एस.एच. संचेती	भूतपूर्व मुख्य नगर नियोजक, (वर्तमान मुख्य सलाहकार) नगर नियोजन विभाग, जयपुर	सदस्य
4.	श्री बाबू लाल गुप्ता	सलाहकार, झील विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री सुनील राय	सलाहकार, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर	सदस्य

उपरोक्त समिति क्षेत्रीय उप निदेशक (संबंधित), स्थानीय निकाय विभाग से समन्वय स्थापित कर राज्य की नगरीय निकायों में किये जा रहे जोनल डवलपमेंट प्लान से संबंधित कार्य की जांच कर शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान को एक माह में प्रस्तुत करेगी। उक्त की पालना अविलम्ब रूप से सुनिश्चित की जाये।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(उज्जवल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एफ.59 एसटीपी / डीएलबी / Review of M.P.(55)/19/6760-74 दिनांक:- 12/12/19

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास, आवासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय, जयपुर।
5. श्री जितेन्द्र सोनी, परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
7. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर /कोटा /जोधपुर /बीकानेर /उदयपुर/ अजमेर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि समिति को जांच में आवश्यक सहयोग प्रदान करावे।
8. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका (समस्त)।
9. श्री महावीर प्रसाद स्वामी, सेवानिवृत्त संयुक्त विधि परामर्शी।

10. श्री एस.एच. संचेती, भूतपूर्व मुख्य नगर नियोजक, (वर्तमान मुख्य सलाहकार) नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
11. श्री बाबू लाल गुप्ता, सलाहकार, झील विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. श्री सुनील राय, सलाहकार, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. System Analyst cum Joint Director, DLB को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. सी.एम.ए.आर. को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को सी.एम.ए.आर. की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
15. सुरक्षित पत्रावली।


(उज्जवल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव